कार्यालय

मध्यप्रदेश असंगठित शहरी एवं ग्रामीण कर्मकार कल्याण मण्डल

आर-23 झोन -1 एम.पी.नगर भोपाल

क्रमांक/ म.प्र.अ.म./ /2021/572 भोपाल/ दिनांक 03.06.2021

प्रति,

समस्त कलेक्टर
मध्यप्रदेश।

विषय:- मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के अन्तर्गत लंबित पात्रता सत्यापन प्रकरणों के संबंध में।

सन्दर्भ :- 1. राज्य शासन का पत्र क्रमांक 756/595/2019/ए-16 दिनांक 20.06.2019,
2. राज्य शासन का पत्र क्रमांक 698/893/2020/ए-16 दिनांक 31.08.2020

-0-

उपरोक्त विषयान्तर्गत जैसा कि आपको विदित है, मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना माननीय मुख्यमंत्री जी की सर्वोच्च प्राथमिकताओं की योजनाओं में से एक है एवं इस योजना की "सतत रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर समीक्षा की जाती है।

मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजनान्तर्गत पंजीकृत व्यक्तियों की पात्रता के संबंध में सत्यापन जुलाई 2019 से 30 सितम्बर 2019 के मध्य अभियान के रूप में किया गया था। सत्यापन अभियान में लंबित रह गये व्यक्तियों का सत्यापन किये जाने हेतु पुन: 01 सितम्बर से 20 सितम्बर 2020 तक की अवधि में अभियान चलाकर कार्य पूर्ण किये जाने के निर्देश राज्य शासन द्वारा पत्र क्रमांक 698/893/2020/ए-16 दिनांक 31.08.2020 दवारा जारी किये गये थे।

उक्त अवधि समाप्त हुये 9 माह से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है, किंतु कई जिलों के प्रकरण अभी भी सत्यापन हेतु लंबित है। सत्यापन के अभाव में हितग्राही को लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है तथा समाधान ऑन-लाईन व सी. एम. हेल्प लाईन में शिकायतों का निराकरण भी संभव नहीं हो रहा है। ऐसे में लगातार अप्रिय स्थिति निर्मित होने की संभावना बनी हुई है। अतः कृपया व्यक्तिगत रुचि लेते हुये संबंधितों को आगामी 25 दिवस में सत्यापन कार्यवाही पूर्ण किये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें। उल्लेखनीय है कि जिले के लंबित भौतिक सत्यापन के सम्बन्ध में आपको प्रदाय किये गए डीएम लॉगिन में विकल्प क्रमांक 08 से “श्रमिक भौतिक सत्यापन - स्थानीय निकाय वार” का विकल्प चुनते हुए ग्राम पंचायत तथा वार्ड स्तर तक के पूर्ण सत्यापन / लंबित सत्यापन कि जानकारी प्राप्त कि जा सकती है तथा उक्त सूची के आधार पर नियमित समीक्षा भी की जा सकती है।

कृपया उक्त कार्य की नियमित समीक्षा कर सर्वोच्च प्राथमिकता पर पूर्ण किया जावे।

(छोटे सिंह)
सचिव,
म.प्र.अ.श.ग्रा.क.क.म.भोपाल

क्रमांक/ म.प्र.अ.म./ /2021/573-580 भोपाल/ दिनांक 03.06.2021

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन की ओर सादर सूचनार्थ।
2. श्रमायुक्त मध्य प्रदेश इंदौर ओर सूचनार्थ।
3. समस्त संभाग आयुक्त, मध्यप्रदेश।
4. समस्त आयुक्त, नगर निगम, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ ।
5. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।
6. सहायक श्रमायुक्त/ श्रम पदाधिकारी/ सहायक श्रम पदाधिकारी म.प्र.की ओर सूचनार्थ।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
8. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगरीय निकाय मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।

सचिव

म.प्र.अ.श.ग्रा.क.क.म.भोपाल